



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 19.04.2025

- ❖ थाना शिवली पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता की धनराशि को कराया गया वापस।
- ❖ शिकायतकर्ता का AEPS के तहत खाते से 20,000/- रुपये निकाल लिये जाने की धोखाधड़ी की गयी थी।
- ❖ शिकायतकर्ता द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर शिकायत करायी गयी थी दर्ज।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता श्रीमती नीतू देवी पत्नी श्री मनमोहन निवासी ग्राम गणेशपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात, के बैंक खाते से दिनांक 27/28.02.2025 को AEPS (अंगूठा लगाकर) अज्ञात व्यक्ति द्वारा 20,000/- रुपये की धोखाधड़ी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा 1930 पर ऑनलाइन शिकायत की गयी थी। जिस पर त्वरित जांच एवं कार्यवाही के क्रम में थाना शिवली साइबर सेल हेल्प डेस्क द्वारा आज दिनांक 19.04.2025 को शिकायतकर्ता की कुल धनराशि ₹ 20,000/- उनके खाते में वापस कराये गये। पुलिस की त्वरित कार्यवाही से शिकायतकर्ता ने जनपद कानपुर देहात पुलिस का धन्यवाद दिया।

खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

वापस करायी गयी धनराशि-

कुल 20,000/- रुपये

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री हरमीत सिंह
2. म0का0 प्रीती सोनकर